पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत गठित "राज्य सलाहकार समिति" की 16वीं बैठक दिनांक 19 फरवरी 2020 का कार्यवृत्त।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत गठित "राज्य सलाहकार समिति" की 16वीं बैठक दिनांक 19 फरवरी 2020 को प्रो0 विनीता दास, विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नवत् रही:–

(1)	**डा0 कौशिक मण्डल,** सहायक प्रोफेसर, मेडिकल जेनेटिस्ट, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।	– सदस्य
(2)	**डा0 अरुणा नारायण,** बाल रोग विशेषज्ञ, सिफ्सा, लखनऊ।	– सदस्या
(3)	**श्रीमती कुल्सुम तलहा,** वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकत्री, दिलकुशा कालोनी, लखनऊ।	– सदस्या
(4)	**डा0 सीमा गुप्ता,** प्रतिनिधि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	– सदस्या
(5)	**डा0 वीरेन्द्र सिंह,** संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	– राज्य नोडल अधिकारी, पी.सी.पी.एन.डी.टी.
(6)	**श्री अरशद हुसैन,** प्रतिनिधि प्लान इण्टरनेशनल, लखनऊ।	

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत् किया गया एवं प्रतिभागियों के परिचय के आदान–प्रदान के उपरान्त् अध्यक्ष महोदया की अनुमति से एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नवत् चर्चा हुई:–

एजेण्डा मद संख्या 01
(गत् बैठक दिनांक 10 अगस्त 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं सलाहकार समिति द्वारा दिये गये सुझावों/परामर्शो में कार्यवाही की स्थिति)

समिति द्वारा गत् बैठक दिनांक 10 अगस्त 2015 के अनुमोदित कार्यवृत्त के अवलोकनोपरान्त् बैठक दिनांक 10 अगस्त 2015 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

तत्पश्चात् डा0 वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण/राज्य नोडल अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति की गत् बैठक में की गयी संस्तुतियों पर कार्यवाही की

क्रमशः 2 पर

स्थिति समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुति/परामर्श दिया गयाः–

(1) जनपद स्तर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत होने वाली कार्यशाला प्रत्येक जनपद में सम्पन्न हो गयी है अथवा नही, के सम्बन्ध में सूचना राज्य स्तर पर मंगायी जाये।

(2) अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन के कारण मा0 न्यायालय में योजित वादों का विस्तृत विवरण समिति के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(3) मेडिकल जेनेटिस्ट की परिभाषा में समस्याओं के सम्बन्ध में डा0 मन्दाकिनी प्रधान, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ से पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाये।

(4) निरीक्षणों की संख्या बढ़ाने हेतु राज्य स्तर से 25–30 अधिकारियों का एक पूल जनपदीय अधिकारियों को सम्मलित करते हुए तैयार किया जाये, तत्पश्चात् पूल के अधिकारियों का अभिमुखीकरण राज्य स्तर पर किये जाने के उपरान्त् राज्य स्तर से पूल के अधिकारियों के माध्यम से भी निरीक्षण किये जायें।

एजेण्डा मद संख्या 02
(प्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति)

डा0 वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण/राज्य नोडल अधिकारी द्वारा प्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि लिंगानुपात (जन्म पर) के आँकड़े 02 माध्यमों (एच0एम0आई0एस0 व जन्म पंजीकरण) से प्रत्येक माह प्राप्त हो रहे हैं, जिसके अनुसार प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि परिलक्षित हो रही है। विगत् कुछ वर्षो का लिंगानुपात समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन के कारण मा0 न्यायालयों में योजित वादों की वर्षवार संख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा दण्डादेशों की वर्षवार संख्या भी समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी। इसके अतिरिक्त राज्य नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2017 से प्रदेश में लागू "मुखबिर योजना" के मुख्य–मुख्य प्राविधानों के सम्बन्ध में समिति को जानकारी देते हुए अवगत कराया कि प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 12 डिक्वॉय ऑपरेशन्स सम्पन्न हो चुके हैं।

एजेण्डा मद संख्या 03
(पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रशिक्षण नियमावली, 2014 के अनुसार दिनांक 09 जनवरी 2014 तक पंजीकृत केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन संचालित किये जाने हेतु अधिकृत "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों" हेतु सक्षमता आधारित परीक्षा के सम्बन्ध में)

डा0 वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण/राज्य नोडल अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 प्रशिक्षण नियमावली, 2014 प्रख्यापित किये जाने के उपरान्त् 09 जनवरी 2014 तक पंजीकृत इकाईयों को अनुभव/प्रशिक्षण के आधार पर नियुक्त "पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायियों" की सक्षमता आधारित परीक्षा हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा के0जी0एम0यू0,

क्रमशः - 3 पर

लखनऊ को प्राधिकृत किया गया था, परन्तु यह परीक्षा अभी सम्पन्न नही हो पायी है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि ''स्टेट सुपरवाईजरी बोर्ड'' की बैठक में भी इस मुद्दे को सम्मिल्लित किया गया था, बोर्ड द्वारा के0जी0एम0यू0 के साथ–साथ प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों को परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु अधिकृत किये जाने हेतु निर्णया लिया गया था, जिस हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था परन्तु शासन स्तर से इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश अभी तक निर्गत नही हो पाया गया है। बैठक में उपस्थित प्लान इण्टरनेशनल के प्रतिनिधि द्वारा झारखण्ड में सम्पन्न सक्षमता आधारित परीक्षण के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि वहाँ पर एक लिखित परीक्षा के उपरान्त लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्मल्लित किया गया। समिति द्वारा विस्तृत चर्चा–परिचर्चा के उपरान्त् परामर्श दिया गया कि झारखण्ड के उदाहरण को सम्मल्लित करते हुए पुनः एक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

एजेण्डा मद संख्या 04
(डा0 परवेज अहमद, अर्हता–बी0ए0एम0एस0 व आई0एम0सी0सी0 एक्ट, 1970 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट इन इमेजिंग एण्ड रेडियो डायग्नोसिस को अल्ट्रासाउण्ड/इमेजिंग मशीन का संचालन अनुमन्य किये जाने विषयक)

डा0 वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण/राज्य नोडल अधिकारी द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चन्दौली के पत्र दिनांक 08 अगस्त 2019 के माध्यम से प्राप्त अभिलेखों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा व्यक्त किया गया कि चूंकि डा0 परवेज अहमद इमेजिंग मशीन के संचालन हेतु आधारभूत अर्हता एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारक चिकित्सक नही हैं, अतः इनका आवेदन अस्वीकार किये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चन्दौली को निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी।

एजेण्डा मद संख्या 05
(अन्य बिन्दु)

अध्यक्ष महोदया की अनुमति निम्नवत् अन्य बिन्दुओं पर चर्चा–परिचर्चा सम्पन्न हुई:–

श्रीमती कुल्सुम तलहा, सदस्या द्वारा सुझाव दिया गया कि मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियों की सफल कहानी भी समुदाय तक पहुँचाने हेतु कार्य किये जाने की आवश्यकता है, जिस हेतु श्री अरशद हुसैन, प्रतिनिधि प्लान इण्टरनेशनल द्वारा सुझाव दिया गया कि आगामी बैठकों में निदेशक, पंचायती राज व निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदया द्वारा आगामी बैठकों निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश को विशेष बैठकों में आमंत्रित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(प्रो0 विनीता दास)
विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग,
के0जी0एम0यू0, लखनऊ/
अध्यक्ष, राज्य सलाहकार समिति, उत्तर प्रदेश।